


इजराय संख्या-07 / 2001

कृष्ण कुमार बनाम राजस्थान सरकार

दिनांक : 17.11.2025

वकूलाय फरीकेन उपस्थित। न्यायालय द्वारा जारी वारण्ट 21 नियम 54 पर सहायक नाजिर राजाखेडा की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसमें उसने वर्णित सर्वाजनिक निर्माण विभाग राजाखेडा के भवन को कुर्क किये जाने का अंकन किया है लेकिन राशि 2334491 प्राप्त बाबत कोई अंकन नहीं किया, ना ही भवन कुर्की हेतु कोई विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस संबंध में संबंधित नाजिर का स्पष्टीकरण लिया जाकर पत्रावली दिनांक 18.11.2025 को वास्ते पालना रिपोर्ट पेश हो।


राजस्थान सरकार
धौलपुर (राज.)

*Letter for
Classification to
Kishor Das
702
17/11/25*